



सुन - न. 1

2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
11.11.21	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रनिश्चिंत निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 10.11.21 को पेश हों। 
10.1.22	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रनिश्चिंत निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 09.2.22 को पेश हों। 
8.2.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 10.5.22 को पेश हो।
16.5.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 16.5.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 16.5.22 को पेश हो।
20.07.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 20.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।
29.11.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30.11.22 को पेश हो।
30.11.22	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल-इफतर हो।



